सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 21.06.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये 01 चोर को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 मोबाइल फोन किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.06.2024 को वादिनी सरला देवी पत्नी राजेन्द्र निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर सूचना दी गयी कि दिनांक 09.06.2024 की रात्रि को आकाश उर्फ घोडा द्वारा उनके घर से चांदी की पायल 2500/-रुपये नकदी एवं 02 मोबाइल फोन चोरी कर लिये हैं **सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 134/2024 धारा 380 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिय गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0134/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश उर्फ घोडा को इंजीनियरिंग कालेज **के पास से समय करीब 21.40 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त की पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 मोबाइल बरामद किया गया। जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह मोबाइल मैंने सरला देवी के घर से दिनांक 09.06.2024 को चोरी किया था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरादमगी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2024 धारा 380 भादवि में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. आकाश उर्फ घोडा पुत्र हनीफ निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 20 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0134/2024 धारा 380/411 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. **01 मोबाइल(सैंमसंग चोरी का)**

पुलिस टीम –निरीक्षक श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 अरिमर्दन सिंह, का0 कमरूद्दीन, का0 हतेश वर्मा।